छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | षोडश सत्र | अंक-14

<u>रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 मार्च, 2023</u>

(चैत्र 2, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, छत्तीसगढ़ विधान सभा की पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये ।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिये संवेदना प्रकट की गई ।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.04 बजे स्थगित की जाकर 11.14 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, (कुल 03) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 30 तारांकित एवं 56 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान 2022-2023 के संदर्भ में प्रथम एवं द्वितीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, तथा

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 97/सी.एस.ई.आर.सी./2022, दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय प्रतिबद्धता एवं आर.ई.सी. पद्धति का क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022,

पटल पर रखा।

5. व्यवस्था का प्रश्न

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कथन किया कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, चूंकि प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है । माननीय सदस्य ने पूछा कि कितने एम.ओ.यू. निरस्त किये गये और उसके कारण क्या हैं ? यदि मंत्री जी उसमें लगभग 15-20 मिनट तक पढ़कर समय जाया करें तो मुझे लगता है, यह स्थिति अच्छी नहीं है। प्रश्नकाल में जितना प्रश्न पूछा जाये, उतना ही जवाब मिले ।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि विधायकगण सिर्फ इतना लम्बा ही प्रश्न पूछें। किसी जानकारी विशेष के लिये पूछें, ताकि उसमें सदन का एक घंटे का समय खराब न हो । मैं अध्यक्ष होने के नाते प्रतिपक्ष से और पक्ष दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न भी संतुलित रखें और उत्तर भी संतुलित रखें ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

6. पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य द्वारा प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

इस संबंध में सर्वश्री शिवरतन शर्मा, धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री रजनीश कुमार सिंह, पुन्नूलाल मोहले, डॉ. रमन सिंह, सदस्य एवं श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ने भी विचार व्यक्त किये।

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् मैंने स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है ।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.33 बजे स्थगित की जाकर 12.45 बजे, समवेत हुई।)

7. पृच्छा

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने कल रायपुर के गुरूद्वारे से खालिस्तान के समर्थन में निकले जुलूस/प्रदर्शन की घटना के संबंध में आसंदी का ध्यानाकृष्ट किया एवं मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में वक्तव्य की मांग की ।

श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य ने स्थिति स्पष्ट की ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज सदन में हैं, विनियोग पर चर्चा होनी है, गृहमंत्री जी भी हैं । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर वक्तव्य देंगे ।

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा गोदाम निर्माण कार्य का टेंडर अपात्र ठेकेदारों को दिये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(2) श्री चंदन कश्यप, सदस्य ने जिला-नारायणपुर के नारायणपुर-छोटे डोंगर सड़क अत्यंत जर्जर होने के संबंध में लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

9. वक्तव्य

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने कल रायपुर के गुरूद्वारे से निकले जुलूस /प्रदर्शन संबंधी घटना के परिप्रेक्ष्य में वक्तव्य दिया तथा दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने प्रतिपक्ष के सदस्यों को आश्वस्त किया ।

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कथन किया कि माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल के जुलूस और घटना पर बयान दिया है। उसको हम प्रस्ताव के रूप में लेते हैं, छत्तीसगढ़ विधान सभा की यह भावना है और यह प्रस्ताव हम सर्वसम्मति से पारित करते हैं।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने सहमति व्यक्त की ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको प्रस्ताव के रूप में लेने की सहमति दे दी है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको प्रस्ताव के रूप में ही मान लिया जाए, इसमें हम सबकी सहमति है ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य को जिस प्रकार से प्रतिपक्ष ने लिया है और इसे प्रस्ताव के रूप मे सम्मिलित करने का निवेदन किया है, मैं इसे सम्मिलित करने की अनुमति देता हूं । मुझे विश्वास है, सदन इससे सहमत होगा ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

10. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री नारायण चंदेल

(2) श्री सौरभ सिंह

(3) डॉ. विनय जायसवाल

(4) श्री गुलाब कमरो

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2023 (क्रमांक 6 सन् 2023)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2023 (क्रमांक 6 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री देवेन्द्र यादव, शिवरतन शर्मा, शैलेष पाण्डेय,

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, आशीष कुमार छाबड़ा,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

श्री पुन्नूलाल मोहले, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, श्री प्रमोद कुमार शर्मा,

12. विनियोग विधेयक के पारण हेतु समय वृद्धि की घोषणा

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 158 (2) के अनुसार विनियोग विधेयक को 5.00 बजे तक पारित किया जाना है । चूंकि अभी विनियोग विधेयक पर चर्चा पूर्ण नहीं हुई है, एवं माननीय मुख्यमंत्री जी

का जवाब भी आना है। अत: नियम 158 के उप नियम (2) को शिथिल कर विनियोग विधेयक के पारण के समय में वृद्धि की जाये।

मैं समझता हूं, सभा सहमत है ।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

सर्वश्री राजमन वेंजाम, धरमलाल कौशिक,

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

श्रीमती संगीता सिन्हा,

14. सदन को सूचना

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ने सदन का ध्यानाकृष्ट किया कि पूर्व गृहमंत्री माननीय सदस्य श्री ननकीराम कंवर, विधान सभा आ रहे थे तब शंकर नगर चौक के पास कुछ लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया । माननीय सदस्य ननकीराम कंवर ने संबंधित थाने में जाकर शिकायत दर्ज करायी है ।

विधायकों को विधान सभा आने से रोका जाए, रास्ते में बदसलूकी की जाए, यह उचित नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी और गृहमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं । इस पर उनका वक्तव्य आना चाहिए ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

15. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्रीमती इन्दू बंजारे,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रम-5 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

श्री गुलाब कमरो,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष,

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2023 (क्रमांक 6 सन् 2023) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

16. उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि हर्ष का विषय है कि वर्ष 2022 के लिए **"उत्कृष्ट विधायक"** हेतु सत्ता पक्ष से **माननीया श्रीमती संगीता सिन्हा** एवं प्रतिपक्ष से **माननीया श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** का चयन किया गया है।

पंचम विधान सभा के कार्यकाल हेतु **जागरूक विधायक** के रूप में **माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी** का चयन किया गया है ।

"उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार" हेतु दैनिक समाचार पत्र **"पत्रिका"** के **संवाददाता श्री राहुल जैन** का तथा **उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टर हेतु न्यूज -18 के संवाददाता श्री देवव्रत भगत एवं कैमरामेन श्री रोहित श्रीवास्तव** का चयन किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष ने अपनी ओर से एवं सदन की ओर से चयनित माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

17.व्यवस्था

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश एवं राज्य सरकार द्वारा राज्यांश की राशि के संबंध में

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि दिनांक 14 मार्च, 2023 को सभा की कार्यवाही के दौरान माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर, द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2023 को तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्रमांक 258) पर चर्चा के दौरान "केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश एवं राज्य सरकार द्वारा राज्यांश की राशि" के संबंध में माननीय डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा सभा में दिये गये विरोधाभासी उत्तर को लेकर उनके द्वारा दी गई अवमानना नोटिस के संबंध में आसंदी से व्यवस्था दिए जाने की मांग की गई थी ।

इस संबंध में " मैं माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री को निर्देशित करता हूं कि विभागीय स्तर पर प्रकरण का परीक्षण कर यथाशीघ्र वस्तुस्थिति से विधान सभा सचिवालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।"

18.निंदा प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि 4 जनवरी, 2023 को कार्यवाही के दौरान घटित घटना के संबंध में माननीय श्री नारायण चंदेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य माननीय सदस्यों के द्वारा मुझे माननीय श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री के विरूद्ध एक निंदा प्रस्ताव दिया गया था । मैंने तत्संबंधी कार्यवाही का अवलोकन किया । दिनांक 4 जनवरी को सदन में व्यवधान के समय पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा तत्समय नारेबाजी एवं गंभीर आरोप-प्रत्यारोप के अवसर पर परिस्थितिजन्य आक्रोश की स्वाभाविक परिणिति के स्वरूप दोनों पक्षों के द्वारा परस्पर एक-दूसरे के खिलाफ अपनी-अपनी भावनायें व्यक्त की जा रही थीं । उसी घटना के परिप्रेक्ष्य में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह कथन प्रतिपक्ष के संबंध में कहा गया था कि "बर्खास्त किया जाए" । आसंदी के द्वारा तत्समय इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया क्योंकि सभी माननीय सदस्य अपने दलीय राजनीतिक दायित्व और कर्त्तव्य की परिधि से संचालित होते हैं और सदन में अपना संसदीय दायित्व निर्वहन करते हैं और मेरी यह मान्यता और दृढ़ विश्वास है कि सदन में कभी भी किसी भी पक्ष के सदस्य के द्वारा एक-दूसरे के प्रति अभिव्यक्त विचार व्यक्तिगत द्वेष के आधार पर व्यक्त नहीं होता ।

उपर्युक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए मैंने प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा माननीय श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री के विरूद्ध प्रस्तुत निंदा प्रस्ताव को अमान्य कर दिया है । आशा है, आप सभी इससे सहमत होंगे।

19.सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मार्च, 2023 सत्र में जो कार्य शेष रह गये थे, उनको सम्पादित करने हेतु सदन की अनुमति की प्रत्याशा में सम्मिलित किया जाकर आज गुरूवार, दिनांक 23 मार्च, 2023 की अनुपूरक कार्य सूची जारी की जा रही है ।

मैं, समझता हूं सभा सहमत है ।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

(अनुपूरक कार्यसूची जारी की गई।)

20. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने जांच आयोग अधिनियम 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार दिनांक 9 अप्रैल, 2019 को जिला-दंतेवाड़ा के अंतर्गत श्यामगिरी मार्ग के मध्य, क्रिकेट ग्राउंड के पास नक्सलियों द्वारा किये गये बारूदी सुरंग विस्फोट से श्री भीमा मण्डावी, विधायक, दंतेवाड़ा तथा अन्य चार सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु की घटना की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन **पटल पर रखा।**

21. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार आज की अनुपूरक कार्यसूची के पद 7 के उप पद (1) से (42) तक की ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है । सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्व्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा । मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

उप पद क्रमांक	सदस्य
1.	श्री पुन्नूलाल मोहले
2.	श्री शैलेष पाण्डेय
3.	सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा
4.	श्री अजय चन्द्राकर
5.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
6.	श्री धरमलाल कौशिक, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
7.	श्री रामकुमार यादव
8.	श्री शिवरतन शर्मा
9.	श्री सौरभ सिंह
10.	सर्वश्री ननकीराम कंवर, केशव प्रसाद चन्द्रा
11.	श्री शैलेष पाण्डेय
12.	श्री नारायण चंदेल
13.	श्री रामकुमार यादव
14.	श्री रामपुकार सिंह ठाकुर
15.	सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, पुन्नूलाल मोहले,
16.	श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
17.	श्री अजय चन्द्राकर
18.	श्री अजय चन्द्राकर
19.	श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
20.	श्री बृजमोहन अग्रवाल
21.	श्री सत्यनारायण शर्मा
22.	डॉ. विनय जायसवाल
23.	श्री धरमलाल कौशिक
24.	सर्वश्री अजय चन्द्राकर, प्रमोद कुमार शर्मा
25.	सर्वश्री प्रमोद कुमार शर्मा, सौरभ सिंह
26.	श्री सत्यनारायण शर्मा
27.	श्री चंदन कश्यप
28.	श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

29. श्री सौरभ सिंह
30. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
31. श्री सौरभ सिंह
32. श्री धरमलाल कौशिक
33. श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
34. श्री ननकीराम कंवर
35. श्री रामकुमार यादव
36. श्री प्रमोद कुमार शर्मा
37. श्री सत्यनारायण शर्मा
38. श्री कुलदीप जुनेजा
39. श्री प्रमोद कुमार शर्मा
40. श्री बृजमोहन अग्रवाल
41. श्री अजय चन्द्राकर
42. श्री बृजमोहन अग्रवाल

22. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति, जांच समिति ने प्रस्ताव किया कि :-

(1) "कृषि विभाग में सामग्री प्रदायकर्ता कम्पनी/फर्मों को ब्लैक लिस्टेड /डीबार/प्रतिबंधित किये जाने और इससे संबद्ध विषयों पर सदन की जांच समिति" का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाए ।

श्री गुलाब कमरो, सदस्य, जांच समिति ने प्रस्ताव किया कि :-

(2) "शैक्षणिक संस्थाओं में हाजिरी हेतु बायोमेट्रिक टेबलेट की खरीदी और इससे संबद्ध विषयों की जांच हेतु गठित समिति" का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

श्री मोहन मरकाम, सभापति, जांच समिति ने प्रस्ताव किया कि :-

(3) माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के विरूद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.2019 ,

(4) माननीय सदस्य श्री धनेन्द्र साहू, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा श्री कुंभन दास आड़िया एवं श्री अंबरीश आडिया के विरूद्ध समिति को सन्दर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 10.11.2020, पर जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

23. समितियों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अवधि के लिये समितियों के निर्वाचन तथा नाम-निर्दिष्ट समितियों के सदस्यों के नाम-निर्देशन की सूचना पृथक से पत्रक भाग-दो के माध्यम से दी जायेगी । मैं समझता हूं सभा सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

24. नियम-239 के अन्तर्गत विचाराधीन विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

(1) माननीय सदस्य सर्वश्री अजय चन्द्राकर एवं बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री अमरजीत भगत, खाद्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 19/2020 दिनांक 19.08.2020,

(2) माननीय सदस्य सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा एवं सौरभ सिंह द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 33/2022 दिनांक 21.07.2022.

(3) माननीय सदस्य सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा एवं सौरभ सिंह द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 34/2022 दिनांक 21.07.2022.

(4) माननीय सदस्य सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा एवं सौरभ सिंह द्वारा माननीय विधि मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 35/2022 दिनांक 21.07.2022.

(5) माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा माननीय सदस्य श्री मोहन मरकाम के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 36/2022 दिनांक 10.11.2022.

(6) माननीय सदस्य सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा एवं श्री सौरभ सिंह द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 37/2023 दिनांक 13.03.2023.

मेरे समक्ष विचाराधीन है ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि काफी सदस्यों ने निवेदन किया है कि नवरात्रि का महीना चल रहा है, इसलिए यदि आप लोगों की सहमति बन रही है तो सत्र आज खत्म कर दें?

माननीय श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर ने कथन किया कि आसंदी ने 139 की चर्चा स्वीकृत की है, ध्यानाकर्षण, किसानों एवं कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चा की जानी है, लेकिन अचानक सत्र की समाप्ति से विपक्ष के लिए दुविधाजनक स्थिति होती है।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने कथन किया कि अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों को इन विषयों पर अपनी बात रखने का अवसर मिला है। अब सभी विधायी एवं वित्तीय कार्यवाहियां पूरी हो चुकी हैं। जिस प्रकार अभी तक आप साथ दे रहे हैं, थोड़ा और साथ दे दीजिए और आज सत्र स्थगित कर दिया जाए।

प्रतिपक्ष, द्वारा असहमति व्यक्त की गई ।

25. बहिष्कार

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सत्र समापन कार्यवाही का बहिष्कार किया गया ।

26.सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के सोलहवें सत्र का आज अंतिम दिवस है। यह बजट सत्र 01 मार्च 2023 से 24 मार्च 2024 तक आहूत था। पंचम विधानसभा का यह अंतिम बजट सत्र सभी दृष्टि से उल्लेखनीय रहा। इस बजट सत्र की अवधि अपेक्षाकृत छोटी रही, किन्तु यह

इस सदन की उपलब्धि है कि हमने निर्धारित कार्य दिवसों में समय से अधिक कार्य किया । आपने अपने संसदीय कार्यों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सीमित अवधि में भी महत्वपूर्ण कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादित किया जा सकता है।

सत्र समापन के इस अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी, जनता कांग्रेस की माननीया श्रीमती रेणु जोगी जी, ब.स.पा. के माननीय श्री केशव चन्द्रा जी सहित पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यगणों के प्रति मैं सदन के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग के लिए हृदय से साधुवाद देता हूँ।

यह बजट सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। आप माननीय सदस्यगणों की संसदीय परिपक्वता और जनकल्याण के प्रति आपकी वचनबद्धता इस सत्र में स्पष्ट रूप से नजर आयी। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आप माननीय सदस्यगणों ने पक्ष-प्रतिपक्ष के भाव से ऊपर उठकर, जनकल्याण को सर्वोपरि समझा।

पंचम विधानसभा का कार्यकाल अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आप माननीय सदस्यगणों ने अपने प्रयासों से छत्तीसगढ़ विधानसभा की गौरवशाली परम्पराओं को जीवित बनायें रखा। मैंने यह अनुभव किया कि सदन के वरिष्ठ सदस्यगणों का अनुभव और ज्ञान सदन संचालन में मेरे लिए मार्गदर्शी रहा, वहीं नवोदित सदस्यों की ऊर्जा से मुझे बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली। मैं आप सभी सदस्यगणों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने संसदीय कौशल से मुझे मेरे संसदीय दायित्वों की पूर्ति में अपना अधिकतम सहयोग दिया।

आप माननीय सदस्यगणों से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि संसदीय दायित्वों के प्रति और अधिक सजग एवं समर्पित होने की पहल करें। इस सत्र में राज्य की समग्र उन्नति से संबद्ध प्रत्येक विषयों पर व्यापक और विस्तृत चर्चा हुई, धान खरीदी, पर्यावरण, प्रदेश की कानून व्यवस्था, शिक्षा, आवागमन, महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य से जुड़े अनेक विषयों पर जो परिणाममूलक चर्चाएं हुई हैं, इसे मैं इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ।

बहुत लम्बे समय से माननीय मंत्रियों के लिए गरिमामय कक्ष की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, मुझे खुशी है कि इस बजट सत्र के प्रथम दिवस 1 मार्च को विधानसभा में माननीय मंत्रीगणों के लिए निर्मित नवीन कक्षों का लोकार्पण हुआ।

इस सत्र में माननीय सदस्यों के लिए दिनांक 14 मार्च से 16 मार्च, 2023 तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया, जिसमें रूचि लेते हुए माननीय सदस्यों के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ लिया गया। इस स्वास्थ्य शिविर के सफल आयोजन के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एवं उनके विभाग को मैं धन्यवाद देता हूं।

06 मार्च 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया । होली के पूर्व विधायक क्लब एवं संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त तत्वावधान में लगभग 4 वर्षों के बाद विधान सभा में होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप माननीय सदस्यगणों ने होली मिलन के इस कार्यक्रम को अपनी सहभागिता से ऐतिहासिक बना दिया। अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी, और होली मिलन के कार्यक्रम को एक यादगार कार्यक्रम बनाया ।

मैं यह मानता हूं कि असहमति के मध्य सहमति को तलाशने में ही संसदीय लोकतंत्र ही सुन्दरता है और राज्य और देश की उन्नति है, इसलिए बजट सत्र समापन के अवसर पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगणों से मेरा यह अनुरोध है कि आपने विधानसभा के किसी भी अन्य आयोजनों में बहिष्कार का जो निर्णय लिया है, उस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि विरोध अपनी जगह पर ठीक है, परन्तु विधानसभा के आयोजनों से आपका विरोध और बहिष्कार किसी भी दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रतिपक्ष अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगा।

अब मैं आपको इस बजट सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूँगा। इस सत्र की कुल 14 बैठकों में लगभग 97 घंटे 18 मिनट चर्चा हुई। 12 बैठकों में 85 प्रश्न सभा में पूछे गए, जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत 7 प्रश्नों का रहा। इस सत्र में 920 तारांकित प्रश्न एवं 873 अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 1602 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 343 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 96 सूचनाएं ग्राह्य हुईं और 21 सूचनाओं पर सदन में चर्चा हुई । इस सत्र में कुल 130 स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई। शून्यकाल की 71 सूचनाएँ प्राप्त हुईं जिसमें 31 सूचनाएं ग्राह्य और 34 सूचनाएं अग्राह्य रही। वर्तमान सत्र में 128 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनमें 48 ग्राह्य व 80 अग्राह्य रही। 16 अशासकीय संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये, जिनमें 9 संकल्प ग्राह्य हुए तथा 2 संकल्प

स्वीकृत हुए एवं 2 अस्वीकृत हुए। इस सत्र में 10 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और सभी विधेयक चर्चा उपरांत पारित हुए।

वित्तीय कार्यों के अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक अनुमान पर 1 घंटे 26 मिनट, वर्ष 2023-24 के बजट की अनुदान मांगों पर 37 घंटे 54 मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 8 घंटे 05 मिनट चर्चा हुई।

इस सत्र में कुल प्राप्त 1793 प्रश्न में से 1755 प्रश्न अर्थात लगभग 98 प्रतिशत प्रश्न ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त हुए । आप सभी माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कुल प्राप्त 1793 प्रश्न में से 1623 प्रश्न अर्थात 90.5 प्रतिशत प्रश्न ग्राह्य हुए, जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इस हेतु मैं कार्यपालिका, माननीय मंत्रीगणों को भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उनके द्वारा सीमित समयावधि में प्रश्नों के उत्तर तैयार कर प्रेषित किए ।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि इस सत्र से ही प्रारंभ ''विधान सभा का ऐप'' वर्तमान में ''प्ले स्टोर'' पर भी उपलब्ध हो गया है, अतः आपकी इस सभा से संबंधित कार्यों हेतु कृपया इस ''विधान सभा ऐप'' को ''प्ले स्टोर'' से डाउनलोड कर अधिकाधिक उपयोग करें ।

बहुधा माननीय सदस्य बजट सत्र की बैठकों की संख्या कम होने का उल्लेख करते हैं । मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ विधान सभा में पंचम विधान सभा के कार्यकाल के दौरान वैश्विक स्तर पर कोरोना कोविड-19 जैसी महामारी के होते हुए भी वर्ष 2019 से अब तक सम्पन्न कुल 5 बजट सत्रों में सभा की बैठकों की संख्या जहां 70 दिवस रही, वहीं इस दौरान सभा में दिनांक 23 मार्च, 2023 की स्थिति में कुल 374 घण्टे 36 मिनट चर्चा सम्पन्न हुई । इस प्रकार इन वर्षों में बजट सत्रों के दौरान हमने अन्य राज्यों की तुलना में अतिरिक्त समय तक बैठकर चर्चा की एवं एक प्रकार से अधिक बैठक दिवसों की प्रतिपूर्ति की । इस हेतु आप सभी माननीय सदस्यों को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं ।

अन्त में बजट सत्र के समापन अवसर पर इस सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग के लिये मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा समस्त माननीय सदस्यों के प्रति पुनश्च हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया।

मैं इस अवसर पर माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष जी, एवं सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया। विशेषकर माननीय उपाध्यक्ष जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने अत्यंत कुशलता के साथ प्रभावी ढंग से सदन का संचालन किया, मैं आपके सफल उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का तथा प्रश्नकाल का जीवंत प्रसारण किया।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर मुख्य सचिव एवं राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ । सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधानसभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया। सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित की जाती है। आगामी सत्र जुलाई माह में संभावित है।

हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ।

धन्यवाद

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़

27. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण-मन का गायन किया गय)

रात्रि 9.56 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा